

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप 21ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

24 सुजानगढ़ (अ.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल (नाम) जय निवास, पी.सी.बी. स्कूल के पीछे, पो. सुजानगढ़ जिला चूरु (राज.) (पता) इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यता प्राप्त/रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गये)

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान :- चूरु

दिनांक :- 11.12.2018



(Handwritten Signature)

(सविता विश्वादी)
रिटर्निंग ऑफिसर

24 - सुजानगढ़ (अ.जा.) विधानसभा क्षेत्र
(उपखण्ड मजिस्ट्रेट) सुजानगढ़ (चूरु)

Conduct of Elections Rules, 1961

(Statutory Rules and Order)

FORM 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan State from 24 SUJANGARH (SC) Assembly constituency .

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Election Rules, 1961, I declared that-

Shri MASTER BHANWARLAL MEGHWAL (Name) JAY NIWAS, P.C.B. SCHOOL KE PICHE, PO. SUJANGARH DIST. CHURU (RAJ.) (Address) [Sponsored by INDIAN NATIONAL CONGRESS (name of the recognised/ registered political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: Churu

Date: 11.12.2018

di Bishnoi

(SAWEENA BISHNOI)

Returning Officer

24 – Sujangarh (SC) Assembly Constituency

Returning Officer A. C. 024
(SDM) Sujangarh